छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 56 (App.) / बिलासपुर, दिनांकः 09 अगस्त, 2019

II-14-1/2018 (Steno.)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थीगण : –

स. क्र.	नाम (पिता का नाम)	पता	वर्ग जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
1.	श्री अमरदीप चौबे आत्मज श्री शिव कुमार चौबे	मकान नं.–6, हनुमान जी वार्ड, महाराजपुर, मण्डला (म.प्र.) पिन–481665.	अनारक्षित
2.	श्री राघवेन्द्र जट आत्मज श्री पुष्पेन्द्र जट	77, जगदम्बा कॉलोनी, पी.एन.टी. क्वाटर्स के पास, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482002.	अनारक्षित

को **शीघ्रलेखक** के पद पर पे मेट्रिक्स के **लेवल–9 (38100-120400)** में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त किया जाता हैः–

(1) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हे परिवीक्षा पर माना जायेगा।

(2) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

(3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हे सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हे नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(4) यदि उनके द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिनों में अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

(5) उन्हे शपथ लेना होगा कि वे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।

(6) **वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।**

(7) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा।

(8) उन्हे अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(9) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।

(10) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा

परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(11) **चयनित अभ्यर्थीगण कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर कि उन्होने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।**

(12) **यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जॉच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।**

(13) **उपरोक्त चयनित अभ्यथियों की वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त स्टेनोग्राफर के सबसे अंतिम स्थान पर होगा और उनकी पारस्परिक वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उपरोक्तानुसार उनके क्रम से शासित होगी।**

(14) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार
सही/–
(नीलम चंद सांखला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां0 क्रमांक 8382 / बिलासपुर, दिनांकः 09 अगस्त, 2019
II-14-1/2018 (Steno.)

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (विजिलेन्स/आई.एण्ड ई./न्या./एस.एण्ड.ए. सेल), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. डायरेक्टर (छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. एडिशनल रजिस्ट्रार (न्या./जिला स्था./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)–कम–सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
6. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार (कार्य/लेखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. सहायक रजिस्ट्रार (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. अनुभाग अधिकारी (प्रोटोकॉल/कैश), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. **श्री अमरदीप चौबे,** आत्मज श्री शिव कुमार चौबे, मकान नं.–6, हनुमान जी वार्ड, महाराजपुर, मण्डला (म.प्र.) पिन–481665.
11. **श्री राघवेन्द्र जट**, आत्मज श्री पुष्पेन्द्र जट, 77, जगदम्बा कॉलोनी, पी.एन.टी. क्वाटर्स के पास, जबलपुर (म.प्र.) पिन–482002.

<u>की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।</u>

9.8.2019

(नीलम चंद सांखला)
रजिस्ट्रार जनरल